न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 06 / 2024

सन्तोष पुत्री रामचन्द पत्नी बनवारी लाल जाति जाट साकिन नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद रावतसर ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

1. कालूराम
2. गोपीराम
3. ताराचन्द
4. मदन लाल

पिसरान रामचन्द जाति जाट साकिन 6 बीएचएम सुथारावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

5. पपीदेवी पुत्री रामचन्द पत्नी नोपाराम जाति जाट साकिन खेतावाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

–अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई —— प्रार्थीया
2. श्री हीरालाल बिरथलिया —— अप्रार्थी सं. 1 ता 4
3. अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी है।
4. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा। ——अप्रार्थी संख्या 6

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 21/04/2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री शैलेन्द्र बिश्नोई द्वारा प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है।यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है जो हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शासित होते है। जिसका सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएचएम के खाता सं. 83/66 के प.नं. 109/382 (71), प.नं. 109/383 (76), प.नं. 110/382 (72) की कुल तादादी 14.670 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै.मु. खाला गैर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड वाके है मे से वादीया के पिता रामचन्द का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:31:39 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया के पिता की कृषि भूमि है। प्रार्थीया के पिता रामचन्द पुत्र शेराराम ... भूमि में प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीया के पिता के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीया का 1/6 हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त आ रही है परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के पिता नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीया की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये प्रार्थीया अपने हक हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि सयुक्त खाता की भूमि है। प्रार्थीया अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि का खाता अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत व खाला रास्ता की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सुविधा अनुसार अप्रार्थीगण से तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने के हकदार है।

यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 जो कि लालची किस्म के व्यक्ति है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 किसी नाजायज दबाब मे है। इसी नाजायज दबाब के चलते दर्ज कृषि भूमि को औने पौने दामो में किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करना चाहते है। इसी नाजायज दबाब के चलते कृषि भूमि को औने पौने दामो में किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करना चाहते है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त ही मुशकिल होगा व प्रार्थीया अपनी पैतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है कि अप्रार्थीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएचएम के खाता सं. 83/66 के प.नं. 109/382 (71), प. नं. 109/383 (76), प.नं. 110/382 (72) की कुल तादादी 14.670 हैक. मे से प्रार्थीया के पिता रामचन्द का 1/3 हिस्सा मे से प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा नहरी मय रास्ता खातेदारी भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता हाजिर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल वाद पत्र है। अनेक अवसर दिये जाने पर भी जवाब अप्रार्थीगण प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 6 बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 5 का नोटिस बाद तामिल पूर्व में प्राप्त है हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थना पत्र में बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि विरास्तन हिस्से की घोषणा करवाने तक अस्थाई निषेधाज्ञा कनर्फम की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से बहस में कथन किया कि प्रश्नगत रकबा गैर खातेदार है एवं अपवादित है विरास्तन इंतकाल हेतु दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि हमारे नाम रकबा खातेदारी दर्ज नही है इस लिए बेचान संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

—::आदेश::—

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत रकबा वर्तमान में पुख्ता आंवटन है गैर खातेदार है प्रार्थीया को विरास्तन नामांन्तरकरण करवाया जाना उचित है जिसके लिए गैर खातेदार रकबा पर अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फैसला अनवृत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होते है। राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। दिनांक 04.01.24 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 21/04/2025 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:31:39 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर ए एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर एवं
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा